धर्माराम गहलोत पुत्र सालगराम दर्ज है। यह सही है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम धर्मीचन्द पुत्र सालगराम के स्थान पर धर्माराम गहलोत पुत्र सालगराम दुरूस्त किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी एवं जवाब वादपत्र तहसीलदार, जैतारण का अध्ययन किया, विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सरहद मौजा बलून्दा तहसील– जैतारण की जमाबन्दी संवत 2077–2080 के खसरा नम्बर 306, 317, 319, 351, 376, 377, 697, 705, 707, 709, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 1516, 1517, 2129 में धर्मीचन्द पुत्र सालगराम बतौर खातेदार दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका वास्तविक नाम धर्मा राम गेहलोत पुत्र सालगराम है। तहसीलदार, जैतारण ने भी अपनें जवाब वादपत्र में उक्त अनुतोष प्रदान करनें की सहमति प्रदान की है। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में धर्मा राम गेहलोत के नाम जारी आधार कार्ड संख्या 286237363328 प्रदर्श कराए है। वादीगण के शपथ–पत्र, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार, जैतारण के जवाब वादपत्र से यह स्पष्ट है कि वस्तुतः धर्मीचन्द पुत्र सालगराम का वास्तविक नाम धर्मा राम गेहलोत पुत्र सालगराम है। अतः हम वादपत्र वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 एवं धारा– 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलुन्दा, पटवार हल्का बलुन्दा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 306 रकबा 0.8741 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.4937 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 319 रकबा 13.395 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 351 रकबा 1.0036 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 376 रकबा 1.8211 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नंबर 377 रकबा 1.8211 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नंबर 697 रकबा 0.1457 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 705 रकबा 0.2509 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 707 रकबा 0.2509 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 709 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1511 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1512 रकबा 1.3193 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1513 रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म गै.मु.खड्डा, खसरा नंबर 1514 रकबा 0.5180 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.0971 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.3561 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1517 रकबा 0.8498 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 2129 रकबा 1.0603 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज "**धर्मीचन्द पुत्र सालगराम** " के नाम की अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
जैतारण (ब्यावर)

राजी के सही व वास्तविक खातेदार के नाम की शुद्व एवं सही प्रविष्टि "**धर्मा राम लोत पुत्र सालगराम**" दर्ज करते हुए वादी को इनके हिस्से तक वादग्रस्त आराजी में तेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी ाबिक **डिक्री** पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी हर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला– ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक 20/11/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)